Q 1. आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना क्या है?

➢ आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना का उद्देश्य गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्चे होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराना है।
इस योजना के हितग्राहियों परिवार को 5 लाख रूपये का सलाना ईलाज योजना के अन्तर्गत सम्बध्द निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध होगा।

Q 2. आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना के पात्र परिवार कौन है?

➢ **योजना में निम्नालिखित तीन प्रकार के हितग्राही परिवार हैः–**

1. सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में चिन्हित D-1 से D-7 (D-6 छोड़कर) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार सम्मिलित होगें एवं चिन्हित व्यवसाय आधारित शहरी परिवार सम्मिलित रहेंगे।

साथ ही कुछ श्रेणियों के परिवार स्वतः ही समावेशित रहेंगे।

- **ग्रामीण परिवार वोः–**

(i) जिनके पास केवल 1 कमरें का मकान हो। जिनकी कच्ची दीवारें एवं कच्ची छत हों।
(ii) भूमिहीन गृहस्थी धारक जो हस्तचलित नैमित्तिक श्रमिक हों।
(iii) वे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो एवं जिनके घरों में 16–59 वर्ष पुरूष सदस्य न हो।
(iv) दिव्यांग एवं कोई सक्षम शरीर सदस्य घर में न हो।
(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति।

- **स्वतः सम्मिलित होने वाले ग्रामीण परिवार–**

(i) आश्रयहीन घर
(ii) बेसहारा
(iii) हस्त अपमार्जक
(iv) आदिम आदिवासी समूह
(v) कानूनी रूप से छुड़वाए हुए बुंधआ मजदूर

- **शहरी क्षेत्र में परिवार वो–**

(i) चिथड़ा बीनने वाला
(ii) भिखारी
(iii) घेरलू कामगार
(iv) सड़क विक्रेता/मोची/फेरीवाला
(v) निर्माण मजदूर/नलसाज/मकान बनाने वाला/रंगसाज/वेल्डर/सूरक्षाकर्मी

(vi) कुली एवं सिर पर भार ढ़ोने वाले।

(vii) मेहतर/सफाई कर्मचारी/माली

(viii) घरेलू कार्य करने वाले/शिल्पकार/हस्तकलाकार/दर्जी

(ix) परिवहन कामगार/वाहन चालक/कंडक्टर/ठेलागाड़ी ढ़ोने वाले/रिक्शा खींचने वाले

(x) दुकान कार्यकर्ता/चपरासी/वितरण सहायक/बैरा

(xi) विद्युत कारीगर/मिस्त्री/मरम्मत कर्मी

(xii) धौबी।

2. खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक।

3. असंठित क्षेत्र के मजदूर परिवार।

4. ग्रामीण एवं शहरी परिवार जो राज्य बिमारी सहायता योजना में लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार कुल 1.4 करोड़ परिवार म.प्र. में योजना का लाभ ले रहे है।

Q 3. यह योजना कितने वर्षो के लिये लागू रहेगी?

➢ वर्तमान में योजना हेतु कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं हैं।

Q 4. योजना का लाभ लेने के लिए कोई निर्धारित आयु सीमा?

➢ योजना का लाभ बच्चें से लेकर वृद्धजन तक सभी ले सकते हैं।

Q 5. परिवार के कितने सदस्य योजना लाभ ले सकते है?

➢ सदस्यों की सीमा निर्धारित नहीं है।

Q6. योजना क्या लिंग निर्धारित है?

➢ नहीं, यह योजना स्त्री एवं पूरूषों के लिए समान रूप से लागू है।

Q7. हितग्राही बनने के लिए क्या प्रक्रिया है?

➢ इस योजना में कोई नामांकन प्रक्रिया नहीं है। हितगाही बनने के लिए, यह योजना पात्रता आधारित है। जिसके हितग्राहियों की सूची सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत गणना 2011, सम्बल योजना एवं खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक में संकलित कर दी गई है।

Q8. आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना में अपने परिवार की पात्रता कैसे पता करूँ?

➢ अपनी एवं अपने परिवार की पात्रता जानने के लिए निम्नालिखित उपाये हैः–

(i) अपने नजदिकी कॉमन सर्विस सेन्टर पर जावें या योजना से सम्बध्द निजी अथवा शासकीय चिकित्सालय में आधार कार्ड या अन्य कोई फोटो आधारित शासकीय पहचान पत्र जैसे वोटर

कार्ड,पेन कार्ड आदि और साथ ही परिवार के पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड लेकर जाए। CSC सेन्टर पर आयुष्मान मित्र आपको आपका नाम ढूँढ़ कर कार्ड बनाने में आपकी सहायता करेंगे।

(ii) आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना के कॉल सेन्टर 14555/18002332085 पर भी फोन कर आप जान सकते हैं।

Q9. अगर मैं किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहा/रही हूँ तो भी क्या मैं आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकता/सकती हूँ?

➢ राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ लेने वाले हितग्राही, आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी ले सकते है।

Q10 हितग्राहियों की सूची में नाम होने पर क्या मैं योजना का लाभ ले सकता/सकती हूँ?

➢ अगर हितग्राहियों की सूची में नाम दर्शित होता है तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर पर आप अपना आधार कार्ड अथवा कोई भी फोटो आधारित शासकीय परिचय पत्र जैसे वोटर कार्ड या पैन कार्ड और साथ ही राशन कार्ड की प्रति ले जाकर रू.30/– का शुल्क देकर गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं।

Q11 अगर मेरे पास कार्ड उपलब्ध नहीं है और मेरा नाम हितग्राहियों की सूची में है तो उस स्थिति में मैं ईलाज कैसे करवा सकता हूँ?

➢ अगर आपका नाम हितग्राहियों की सूची में है और आप आयुष्मान भारत से सम्बध्द चिकित्सालय में ईलाज करवाना चाहते है, तो ऐसी स्थिति में आप सम्बध्द चिकित्सालय में स्थापित कियोस्क पर आयुष्मान मित्र से मुलाकात कर अपना आधार कार्ड अथवा कोई भी फोटो आधारित शासकीय परिचय पत्र जैसे वोटर कार्ड या पैन कार्ड के साथ राशन कार्ड की प्रति को ले जाकर निःशुल्क अपना कार्ड बनवा सकते है किन्तु इस स्थिति में केवल उन ही मरीजों का कार्ड बनेगा जिनको सम्बध्द चिकित्सालय में भर्ती किया जाना है।

Q12 अगर मैं सम्बद्ध अस्पताल में केवल डॉक्टर की सलाह बाह्य रोगी विभाग में लेने जाऊँ तो क्या मेरा ईलाज आयुष्मान भारत "निरामयम"योजना में संभव है?

➢ नहीं वर्तमान मं यह योजना केवल इन मरीजों के लिए है जो अस्पताल में भर्ती हो कर ईलाज करवा रहे है।

अगर बाह्य रोगी विभाग में डॉक्टर की सलाह के उपरान्त आपको भर्ती किया जाता है तो जाँच का खर्चा पैकेज में सम्मिलित कर लिया जावेगा अन्यथा जॉच की फीस मरीज द्वारा वहन की जावेगी।

Q13. अगर मेरा नाम हितग्राहियों की लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो क्या मैं अपना नाम जुड़वा सकता हूँ?

➢ नहीं, वर्तमान में लिस्ट नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। अगर आपके किसी परिवारजन का नाम जुड़वाना या बदलवाना हो तो वह तभी संभव है कि उनका नाम **SECC-2011** सर्वे को सूची में उपलब्ध होना चाहिए।

Q14. हितग्राहियों की सूची अपना नाम ढूँढ़ने के लिए कोई शुल्क लगता है?

➢ नहीं, किसी भी **Common service Center**ए पर नाम ढूँढ़ने का कोई भी शुल्क नहीं लगता है।

Q15. अगर हितग्राहियों को सुचि में उपलब्ध नाम या अन्य कोई जानकारी में त्रुटि हो या कोई बदलाव करवाना हो तो या क्या करना चाहिए?

➢ अगर हितग्राहियों को सुचि में आपके नाम में त्रुटि हो तो आपके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम उपलब्ध होने की स्थिति में फोटो आधारित शासकीय परिचय पत्र को उपयोग कर सत्यापन के उपरान्त त्रुटि सुधारी जा सकती है।

Q16. अगर घर के मुखिया के पास सक्रिय मोबाईल नम्बर न हो तो?

➢ इस तरह के प्रकरण में घर के किसी भी सदस्य का सक्रिय मोबाईल नम्बर दे सकते है। हितग्राही की पहचान एवं सत्यापन की प्रक्रिया के समय मोबाईल नम्बर आवश्यक होता है।

Q17. अगर मेरे परिवार जन का नाम योजना के अन्तर्गत जुड़वाना हो तो या मेरे घर में नये परिवार जन के जुड़ने कि स्थिति अगर नाम जुड़वाना हो तो क्या प्रक्रियां है?

➢ आपके परिवार में जुड़े नए सदस्य की जानकारी आप कभी भी हितग्राहियों की सूची में जुड़वा सकते है। प्रक्रियां निम्नानुसारः–

(i) अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर पर या आयुष्मान भारत से सम्बध्द चिकित्सालयों में आप जावें।

(ii) वहाँ आयुष्मान मित्र आप से आपका स्वयं का परिचय पत्र माँगेगे ताकि नये सदस्य से आपका रिश्ता जोड़ सकें। परिचय पत्र में वे आपसे राशन कार्ड या राज्य निर्धारित परिवार कार्ड,विवाह प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र माँगेगे।

(iii) आपके द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी का सत्यापन कर वे अनुमोदन हेतु उच्च अधिकारी अनुशंसा हेतु भेजे जावेंगे।

Q18. परिवार से कितने सदस्यों को योजना में जोड़ा जा सकते है?

➢ परिवार के सदस्यों की सीमा निर्धारित नहीं है। जितने भी सदस्यों का नाम राशन कार्ड में उपलब्ध है। उन सब का नाम योजना में जोड़ सकते है।

Q19. यदि घर की बेटी का विवाहोपरान्त दुसरे परिवार में नाम जुड़ जाता है तो भी क्या मूल सूची में नाम रखना उचित है?

➢ विवाहोपरान्त घर की बेटी का नाम सूची से हटवा कर उनके पति के परिवार के अन्तर्गत अगर वे पात्र हितग्राही है करवाना सुनिश्चित करें।

Q20. अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए?

➢ अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उस व्यक्तिगत मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सूची से नाम हटवाना सुनिश्चित करें।

Q21. ई–कार्ड/गोल्डन कार्ड क्या परिवार के हर सदस्य के लिए अलग–अलग बनेगा?

➢ एक बार अगर परिवार के सदस्य का नाम का मिलान सूची में हो जाता है सम्बन्धित परिवार के हर सदस्य का व्यक्तिगत ई–कार्ड बनाया जाता है।

Q22. आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनवाने हेतु क्या शुल्क लगता है?

➢ अगर कोई हितग्राही **Common service Center** पर से कोर्ड बनवाता है तो 30 रूपये का शुल्क लगता है।

➢ अगर कोई हितग्राही आयुष्मान भारत योजना से सम्बध्द चिकित्सालय कियोस्क पर भर्ती होने के समय कार्ड बनवाता है तो कार्ड निःशुल्क बनता है।

Q23. योजना का लाभ लेने के लिए कार्ड बनाने का क्या उद्देश्य है?

➢ आयुष्मान योजना के अन्तर्गत चिन्हित हितग्राही कार्ड बनने के उपरान्त पूरे देश में किसी भी राज्य में योजना से सम्बध्द निजी एवं शासकीय चिकित्सालय में ईलाज करवा सकता है।

➢ गोल्डन कार्ड बनवाने का यह लाभ है कि लाभार्थी को बार–बार पहचान प्रक्रियां से गुजरता नहीं पड़ता है।

Q24. अगर मेरा ई–कार्ड गुम जाता है तो पुनः प्रकाशित करवाने की क्या प्रक्रियां होती है?

➢ ई–कार्ड के खो जाने की स्थिति में हितग्राही को योजना के अन्तर्गत सम्बध्द चिकित्सालय से कार्ड पुनः प्रकाशित हो कर मिल सकता है। इसके अलावा आयुष्मान मित्र की मदद से भी ई कार्ड पुनः प्रकाशित करवाया जा सकता है एवं जिस भी **Common service Center** से आपने पूर्व में **E-Card** बनवाया हो वहाँ से आप को नाम मात्र के शुल्क पर कार्ड बनवा सकते है।

Q25. अगर किसी व्यक्ति से बार–बार ई–कार्ड गुम हो जाता है तो जुर्माने का क्या प्रावधान है?

➢ ई–कार्ड के गुम हो जाने पर लाभार्थी से कोई भी जुर्माना नहीं लिया जाएगा।

Q26. कार्ड की वैद्यता क्या रहेगी एवं कार्ड का नवीनीकरण करवाने की क्या प्रक्रियां है?

➢ कार्ड वार्षिक तौर पर स्वतः नवीनीकृत हो जाता है।